

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)—482004

क्रमांक स्था.एक/Statics.-09/2024/685

दिनांक 04/09/2024

प्रति,

1. अधिष्ठाता, कृषि / अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/ संकाय ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. संचालक अनुसंधान/विस्तार सेवाएं/प्रक्षेत्र/शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
5. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, जबलपुर/ रीवा/ टीकमगढ़/ पवारखेड़ा/ खुरई/ छिंदवाड़ा/ गंजबसौदा/ वारासिवनी/ पन्ना/ रेहली।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. प्रभारी, जैव प्रोद्योगिकी केन्द्र (कृषि), ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
8. प्रभारी, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
9. विभागाध्यक्ष, समस्त — कृषि /कृषि आभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
10. परियोजना तिल एवं रामतिल, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
11. सह-संचालक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र पवारखेड़ा /छिंदवाड़ा।
12. प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिएडोरी/ सागर /वारासिवनी।
13. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, समस्त।
14. कार्यपालन यंत्री/सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी/ ग्रंथपाल, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।

विषय:— म0प्र0 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 31 मार्च 2024 की स्थिति में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी, जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 990/2024/संयोजना/डी.एस.एम. (सी.जी.) जबलपुर दिनांक 05/07/2024 के द्वारा म0प्र0 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना संबंधी जानकारी भेजा जाना है।

अतः जानकारी निर्धारित संलग्न प्रपत्रानुसार तैयार कर 03 कार्यालयीन दिवस में उपलब्ध करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

क्रमांक स्था.एक/Statics.-09/2024/686

दिनांक 04/09/2024

प्रतिलिपि:— निज सचिव कुलपति/कुलसचिव प्रकोष्ठ, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कुलसचिव
1

कुलसचिव
2

सार्वजनिक, / उपक्रम / अद्वैशासकीय / संस्थान / विकास प्राधिकरण / विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की देतन समूह एवं सेवा श्रेणी अनुसार संख्या

प्रशासनिक विभाग का नाम – कुलसचिव कार्यालय जबलपुर।
प्रतिवेदन कार्यालय का नाम एवं पता – जवाहरलाल नेहरू कमि विष

नोट — लेवल की जानकारी भरने के लिये छठवें वेतनमान की 01 से 17 ग्रेड पे को ही (Level-1 to Level-17) में अंगीकृत किया गया है। उसी आधार पर जानकारी संकलित की जाए।

अनुसूचि —2

अनुदेश

- (1) मूल वेतन — 31 मार्च 2024 को प्राप्त केन्द्रीय वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों की जानकारी दी जानी है किन्तु मंहाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इसमें शामिल नहीं किये जावेंगे।
(2) प्रतिनियुक्ति — प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी उसी कार्यालय के पत्र में समिलित की जावेगी, जहां से दिनांक 31 मार्च, 2024 को उन्हाँने वेतन प्राप्त किया है।
(3) निलंबित कर्मचारी — ऐसे कर्मचारी निलंबन के पूर्व जो वेतन प्राप्त करते थे, उसी आधार पर उनकी जानकारी दर्शायी जावेगी।

आधिक एवं साधिकी सचालनालय, मध्यप्रदेश

अनुसूची – 4

राज्य के शासकीय विभागों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की सेवा श्रेणी एवं आयु सम्हानुसार संख्या

प्रशासनिक विभाग का नाम – कुलसचिव कार्यालय, जबलपुर

प्रतिवेदन कार्यालय का नाम एवं पता – जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

(31 मार्च, 2024 की स्थिति में)

क्र.	आयु समूह (पूर्व वर्ष में)	प्रथम श्रेणी			द्वितीय श्रेणी			तृतीय श्रेणी		
		पूरुष	महिला	योग	पूरुष	महिला	योग	पूरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18 से 21									
2	22 से 25									
3	26 से 30									
4	31 से 35									
5	36 से 40									
6	41 से 45									
7	46 से 50									
8	51 से 55									
9	56 से 60									
10	60 से अधिक									
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0

कृपया अनुसूची भरने से पूर्व पिछले पृष्ठ पर दिये गये अनुदेशों का अवलोकन करें।

टीप – शासकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को इस गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अनुसूची – 4

अनुदेश

- (1) इस गणना में, 31 मार्च 2024 को राज्य शासन के समस्त कार्यालयों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों (थम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक) की जानकारी दी जाना है।
 - (2) इस अनुसूची में जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में 31 मार्च, 2024 को कार्यरत उन सभी नियमित कर्मचारियों की जानकारी सेवा श्रेणी एवं आयु सम्हानुसार दी जानी है जिन वेतन का आहरण एवं सवितरण प्रतिवेदक कार्यालय द्वारा किया गया है।
 - (3) प्रशासनिक विभाग का नाम- जिस कार्यालय द्वारा अनुसूची में प्रविहिता की गई है उनका नाम स्पष्ट रूप से लिखा जावेगा।
- आयु समूह – 31 मार्च, 2024 की स्थिति में, प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उल्लेख की गयी जन्म तिथि के अनुसार 31 मार्च, 2024 को पूर्ण की गयी आयु की गणना कर से श्रेणी अनुसार निश्चित किये गये आयु समूहों के अंतर्गत दर्शायी जावेगी।